

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. \*148  
13.02.2023 को उत्तर के लिए

कोयला-संचालित बाँयलरों को बंद किया जाना

\*148. श्री संजय भाटिया :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या करनाल और पानीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कोयला-संचालित बाँयलरों पर चल रही औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) द्वारा बंद करने का नोटिस दिया गया है;
- (ख) क्या उक्त बाँयलरों को पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) पर चलाए जाने के लिए प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है और उक्त कदम व्यावहारिक रूप से किफायती नहीं है क्योंकि कोयला-संचालित बाँयलरों की तुलना में पीएनजी-संचालित बाँयलरों के मामले में ईंधन की लागत तीन गुना बढ़ने की संभावना है;
- (ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाँयलरों विनिर्माताओं के माध्यम से हजारों बाँयलरों को बदलने में तीन से चार वर्ष लगने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या पीएनजी आपूर्तिकर्ताओं का एकाधिकार है और वे बहुत अधिक मूल्य वसूलते हैं और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ.) क्या उपर्युक्त तथ्यों के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सभी औद्योगिक इकाइयों के बंद रहने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने पानीपत में उद्योगों को अपने बाँयलरों हेतु ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने की अनुमति देने हेतु कोई कदम उठाए हैं ताकि वे औद्योगिक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री  
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘कोयला-संचालित बॉयलरों को बंद किए जाने’ के संबंध में श्री संजय भाटिया, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 13.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.\*148 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (च): विभिन्न औद्योगिक, घरेलू और विविध अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधनों से होने वाला उत्सर्जन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता के ह्रास में अत्यधिक योगदान देता है और तदनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी एवं स्वच्छतर ईंधनों का प्रयोग शुरू करने की निरंतर आवश्यकता महसूस की गई है।

तदनुसार, उद्योगों में पीएनजी/स्वच्छतर ईंधनों का प्रयोग एक उच्च प्राथमिकता क्षेत्र रहा है। यद्यपि दिल्ली के भीतर स्थित उद्योगों में से अधिकतर उद्योगों में पीएनजी की शुरुआत हो चुकी थी, तथापि दिल्ली से बाहर के एनसीआर क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक समूहों में मुख्य रूप से कोयला, भट्टी तेल और इस प्रकार के अन्य ईंधनों जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग होता रहा। चूंकि संपूर्ण एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्याएं एक समान हैं, अतः एक साझा एअरशेड स्थापित करने के दृष्टिकोण से और कार्यकलापों की संधारणीयता अनिवार्यताओं को इष्टतम रूप से संतुलित करने की आवश्यकता के साथ-साथ वायु की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले ईंधनों के विभिन्न प्रकारों/श्रेणियों के प्रयोग से होने वाले उत्सर्जनों पर विचार करते हुए, संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र के लिए अनुमेय ईंधनों की मानक सूची को अपनाने हेतु सांविधिक निदेश जारी किए गए थे, जिन्हें अधिक से अधिक दिनांक 31.12.2022 तक करनाल एवं पानीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित उद्योगों सहित एनसीआर में स्थित सभी उद्योगों में अनुमेय ईंधनों के प्रयोग को लक्षित करके श्रेणीकृत और चरणबद्ध तरीके से अपनाया जाना था।

चूंकि कोयला एक अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधन है, अतः इस क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के उद्देश्य से संपूर्ण एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू एवं विविध अनुप्रयोगों में इसके प्रयोग (केवल ताप विद्युत संयंत्रों में निम्न गंधक युक्त कोयले के प्रयोग को छोड़कर) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

पीएनजी/सीएनजी/एलपीजी आदि जैसे स्वच्छ गैसीय ईंधनों के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्राधिकार के बाहर एनसीआर क्षेत्रों में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, पीएनजी/सीएनजी आदि जैसे अधिक महंगे गैसीय ईंधनों के वहनीय विकल्प उपलब्ध कराने के साथ-साथ खेतों और खुले क्षेत्रों में बायोमास/कृषि अवशेष आदि को अनियंत्रित रूप से जलाने की घटना को रोकने की दिशा में, बायोमास ईंधनों और विशेष अनुप्रयोगों हेतु प्रयुक्त ईंधनों की भी अनुमति प्रदान की गई है।

इस प्रकार दिल्ली से बाहर एनसीआर में, उद्योगों के लिए ईंधन के रूप में केवल पीएनजी का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है और स्वच्छ ईंधनों के लिए विभिन्न अन्य विकल्प, जो पीएनजी की तुलना में काफी किफायती भी हैं, अनुमोदित ईंधनों की मानक सूची में उपलब्ध कराए गए हैं।

उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में, एनसीआर में स्थित लगभग सभी उद्योगों ने अनुमोदित ईंधनों की मानक सूची अपनाई है। एनसीआर में वर्तमान में संचालित कुल लगभग 7,760 ईंधन आधारित उद्योगों में, 4082 उद्योगों ने अपने कार्यकलापों को पीएनजी से संचालित करने के विकल्प का चयन किया है और शेष उद्योग अब बायोमास आधारित ईंधनों/पीएनजी को छोड़कर अन्य ईंधनों से संचालित हैं। संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र में केवल लगभग 320 औद्योगिक इकाइयों ने दिनांक

31.12.2022 के बाद, जब तक वे भी अनुमोदित ईंधन सूची के अनुसार स्वच्छतर ईंधनों का प्रयोग शुरू नहीं करते तब तक के लिए, स्वेच्छा से अपने कार्य संचालनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

कोयला आधारित बॉयलरों को बायोमास ईंधनों/अन्य ईंधनों आदि से संचालित बॉयलरों में बदलाव करने में किसी प्रमुख परिष्करण की आवश्यकता नहीं होती या ऐसे परिवर्तन से लागत में किसी प्रकार से वृद्धि नहीं होती है।

\*\*\*\*\*